सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 23.10.2026

जनपद-आजमगढ़

01. चौको बाजार में जानलेवा हमले के मामले में वांछित एक अन्य अभियुक्त छोटू उर्फ विकास माली गिरफ्तार।*
इसी मुकदमे में पूर्व में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त अंकित यादव घायल/गिरफ्तार हुआ था, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए थे।*

घटना का विवरण

दिनांक 19.10.2026 को वादी रामप्रसाद यादव द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गई थी कि पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश को लेकर सत्यम यादव व अन्य अभियुक्तों द्वारा रामप्रसाद यादव एवं उनके भाई प्रशान्त यादव को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिराने के बाद लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें रामप्रसाद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त की गिरफ्तारी

दिनांक 22.10.2026 को प्रातः करीब 03:38 बजे थाना जीयनपुर पुलिस टीम द्वारा अम्मा आईमा मोड़ से धनछुला मार्ग पर पुलिया के पास उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त अंकित यादव पुत्र लक्ष्मीकान्त यादव, निवासी कटियारी, थाना घोसी, जनपद मऊ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो खोखा कारतूस तथा एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए थे। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल, आजमगढ़ भेजा गया था।

अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 जाफर खां मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त छोटू उर्फ विकास माली पुत्र सन्तोष माली, निवासी ग्राम चौको खुर्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को रजादेपुर चौराहे के पास से समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता

1. छोटू उर्फ विकास माली पुत्र सन्तोष माली, निवासी ग्राम चौको खुर्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

*पूर्व में मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त का संक्षिप्त विवरण–

अंकित यादव पुत्र लक्ष्मीकान्त यादव, निवासी कटियारी, थाना घोसी, जनपद मऊ। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार। कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 0428/2026, धारा 3(5)/109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। मुठभेड़ एवं अवैध असलहा बरामदगी के संबंध में सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02. महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में वांछित ससुर गिरफ्तार

थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है, अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश जारी।*

घटना का विवरण

दिनांक 21.10.2026 को अमित यादव पुत्र इंद्रजीत यादव निवासी ग्राम चकसेठवल, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ ने अपनी बहन अन्तिमा यादव को ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने एवं मारपीट करने के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 268/2026 धारा 85, 115(2), 108 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियोग में मृतका के ससुर रामचन्द्र यादव, ननद पूजा यादव व गुन्जा यादव, देवर आशीष यादव निवासीगण ग्राम फरीदाबाद, थाना निजामाबाद तथा ननदोई अमित यादव निवासी ग्राम रुदरी (सपहिया), थाना रानी की सराय को नामजद किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 22.10.2026 को उपनिरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम फरीदाबाद स्थित घर से अभियुक्त रामचन्द्र यादव पुत्र धुक्कू यादव, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम फरीदाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 268/2026, धारा 85, 115(2), 108 बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामचन्द्र यादव पुत्र धुक्कू यादव, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम फरीदाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

03. थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत पारिवारिक जमीनी विवाद एवं मुकदमेबाजी की रंजिश में मारपीट के मामले में 08 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।*

अभियुक्तों के कब्जे से 04 डण्डे एवं 02 लोहे के रॉड बरामद।*

घटना का विवरण

दिनांक 20.10.2026 को थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आलमपुर में पारिवारिक जमीनी विवाद एवं मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच गाली-गलौज, जान-माल की धमकी तथा लाठी-डण्डे, लोहे की रॉड एवं ईंट-पत्थर से मारपीट की घटना हुई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 339/2026 धारा

109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 125/324(4) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 विजयी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 विजयी मय हमराह पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम आलमपुर जाने वाले मोड़ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 08 अभियुक्तों एवं 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 04 डण्डे एवं 02 लोहे के रॉड बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता का नाम व पता

1. नारद चौहान पुत्र स्व0 लालता चौहान, उम्र करीब 58 वर्ष।
2. रामभवन चौहान पुत्र निर्मल चौहान, उम्र करीब 45 वर्ष।
3. उमेश चौहान पुत्र निर्मल चौहान, उम्र करीब 40 वर्ष।
4. शैलेश चौहान पुत्र सहती चौहान, उम्र करीब 30 वर्ष।
5. सूजल चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान, उम्र करीब 22 वर्ष।
6. सूरज चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान, उम्र करीब 19 वर्ष।
7. शशांक चौहान पुत्र राजेश चौहान, उम्र करीब 19 वर्ष।
8. सूर्यभान चौहान पुत्र सहती चौहान, उम्र करीब 55 वर्ष।
9. किरन चौहान पत्नी स्व0 दुर्गेश चौहान, उम्र करीब 42 वर्ष।

निवासीगण ग्राम आलमपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

04 अदद डण्डे एवं 02 अदद लोहे के रॉड।

आपराधिक इतिहास

1. नारद चौहान पुत्र स्व0 लालता चौहान

1. मु0अ0सं0 317/2010 धारा 147, 323, 325, 395, 397, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 569/2007 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. रामभवन चौहान पुत्र निर्मल चौहान

1. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 334/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 333, 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. उमेश चौहान पुत्र निर्मल चौहान

1. मु0अ0सं0 134/2019 धारा 147, 148, 149, 188, 283, 336, 353, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

4. किरन चौहान पत्नी स्व0 दुर्गेश चौहान

1. मु0अ0सं0 334/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 333, 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

5. शैलेश चौहान पुत्र सहती चौहान

1. मु0अ0सं0 75/2024 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 412/2025 धारा 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

6. सूजल चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान

1. मु0अ0सं0 75/2024 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

7. सूरज चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान

1. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

8. सूर्यभान चौहान पुत्र सहती चौहान

1. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

9. शशांक चौहान पुत्र राजेश चौहान

1. मु0अ0सं0 75/2024 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 412/2025 धारा 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

04.थाना जीयनपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चौको बाजार में जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्त अंकित यादव घायल/गिरफ्तार।*

पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद।*

पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश में रामप्रसाद यादव व उनके भाई प्रशान्त यादव पर 11 अभियुक्तों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था

घटना का विवरण

दिनांक 19.10.2026 को वादी मुकदमा रामप्रसाद यादव द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गई थी कि पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश को लेकर अभियुक्त सत्यम यादव व घायल अभियुक्त अंकित यादव सहित कुल 11 नामजद अभियुक्तों द्वारा रामप्रसाद यादव व उनके भाई प्रशान्त यादव को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिराने के बाद लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें रामप्रसाद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी

दिनांक 22.10.2026 को प्रातः लगभग 03:38 बजे थाना जीयनपुर पुलिस टीम अम्मा आईमा मोड़ से धनछुला मार्ग पर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की तलाश में थी। इसी दौरान उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त अंकित यादव दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित फायरिंग में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल, आजमगढ़ भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता

अंकित यादव पुत्र लक्ष्मीकान्त यादव निवासी कटियारी, थाना घोसी, जनपद मऊ।

बरामदगी

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर।
2. दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
3. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में घायल अभियुक्त ने बताया कि वह आजमगढ़ शहर में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहा था। दिनांक 19.10.2026 को सत्यम यादव के बुलाने पर वह चौको बाजार पहुंचा था, जहां पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश को लेकर रामप्रसाद यादव व प्रशान्त यादव पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला किया गया था। घटना के बाद वह फरार हो गया था तथा अपने पास अवैध तमंचा व कारतूस रखे हुए था।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। मुठभेड़ एवं अवैध असलहा बरामदगी के संबंध में सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद-मऊ

01.चाकूबाजी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 22.10.2026 को मु0अ0स0 289/26 धारा 3(5), 118(1), 351(2), 352 से संबंधित अभियुक्तगण श्रीशान्त उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी सलाहाबाद गुलाम का पुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, 2.कृष्ण उर्फ शिवा पुत्र विरेन्द्र प्रताप निवासी ग्राम सलाहाबाद मोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

सक्षिप्त विवरण - दिनांक 21 10.20206 दुर्गा प्रतिमा बिसर्जन के दौरान उपरोक्तगण व अन्य लोग साथ मिलकर पुरानी रजिंस को लेकर आपस में मार- पीट व चाकूबाजी किये थे।

पंजीकृत अभियोंग-

1.मु0अ0स0 289/26 धारा 3(5), 118(1), 351(2), 352

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.श्रीशान्त उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी सलाहाबाद गुलाम का पुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

2.कृष्ण उर्फ शिवा पुत्र विरेन्द्र प्रताप निवासी ग्राम सलाहाबाद मोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

02. जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ितो का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 99,500-/ (निन्यानवे हजार पांच सौ रुपया) पीड़ितो को वापस कराया गया*

दिनांक- 22.10.2026 को पीड़ित के खाते से यूपीआई के माध्यम से आन लाइन शापिंग व अवैध लिंक भेज कर फ्राड की गयी कुल धनराशि- 99,500-/ (निन्यानवे हजार पांच सौ रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

थानावार विवरण

1.थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक 1. सुनील कुमार पुत्र सत्यनरायन सिंह निवासी बनियापार सैयद ताहिर पोस्ट सुल्तानपुर थाना घोसी जनपद मऊ का कुल धनराशि – 80,000/- रूपया 2. सुग्गन कुमार पुत्र मोतीचन्द निवासी आदमपुर ललितपुर लुदुही थाना घोसी जनपद मऊ का कुल धनराशि – 19,500/- वापस कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

03. शराब पीकर आपस में मारपीट करने वाले व उत्पाद मचाने वाले 07 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार*

थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व तलाश दबिश वांछित/वारण्टी करते हुए मुहल्ला औरंगाबाद व ग्राम रैनी से शराब पीकर उत्पाद मचाने वाले व आपस में मारपीट करने वाले 07 व्यक्तियो को

शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत हिरासत में लिया गया तथा विधिक कार्यवाही अमल में लाते हुए सभी का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार व्यक्तियो का नाम पता

1. दिलीप सोनकर पुत्र बाबूलाल सोनकर
2. रवीन्द्र सोनकर पुत्र रामप्रसाद सोनकर
3. आदित्य शेखर उर्फ साजन पुत्र दिनेश सोनकर
4. नितेश सोनकर उर्फ चुलबुली पुत्र महेश सोनकर
5. साहिल सोनकर पुत्र मुसाफिर सोनकर
6. गुलशन सोनकर पुत्र रामचन्द्र सोनकर समस्त साकिनान औरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
7. पवन राजभर पुत्र संजय राजभर निवासी रैनी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

04. एससी /एसटी एक्ट के मामलें में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार*-

दिनांक 22.10.2026 को सरवां मोछू मोड़ के पास मु0अ0सं0 501/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से संबंधित वांछित रामनिवास यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोंग

1. मु0अ0सं0 501/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामनिवास यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

जनपद-बलिया

01. थाना सहतवार जनपद बलिया की साइबर पुलिस टीम ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के बैंक खाता से धोखाधड़ी/ठगी कर निकाली गई धनराशि को होल्ड कराते हुये Money Restoration Portal पर 106(3) BNSS के तहत फ्राड धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

उल्लेखनीय है कि पीड़ित/ आवेदक श्री राजु भरद्वाज पुत्र काशीनाथ निवासी बलेउर थाना सहतवार जनपद बलिया के HDFC Bank खाते से दिनांक- 22.10.2025 को रु0- 7000/- का फ्राड किया गया। जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित/ आवेदक उपरोक्त द्वारा NCRP व थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराया गया।

उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की कार्यवाही के क्रम में थाना सहतवार साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा संबंधित बैंकिंग संस्थाओं एवं तकनीकी माध्यमों से धोखाधड़ी की गई धनराशि रु0- 7000/- रुपये को MRM PORTAL पर धारा 106(3) BNSS के तहत दिनांक 22.10.2026 को आवेदक उपरोक्त के बैंक खाते में वापस कराया गया है। अपनी

धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक/ पीड़ित उपरोक्त द्वारा बलिया पुलिस एवं थाना- सहतवार पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सराहना की गई।

02. थाना सहतवार जनपद बलिया साईबर पुलिस टीम ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक/पीड़ित के बैंक खाता से धोखाधड़ी/ठगी कर निकाली गई धनराशि को होल्ड कराते हुये Money Restoration Portal पर 106(3) BNSS के तहत फ्राड धनराशि को पीड़ित के खाते में वापस कराया गया।

उल्लेखनीय है कि पीड़ित/आवेदक श्री बीरबहादुर चौहान पुत्र राजनाथ चौहान निवासी आसमान ठोठा थाना सहतवार जनपद बलिया के IndusInd Bank बैंक खाते से दिनांक- 26.12.2025 को रु0- 76000/- का फ्राड किया गया। जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित/ आवेदक उपरोक्त द्वारा NCRP व थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराया गया।
उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की कार्यवाही के क्रम में थाना सहतवार साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा संबंधित बैंकिंग संस्थाओं एवं तकनीकी माध्यमों से धोखाधड़ी की गई धनराशि रु0- 12594.42/- रुपये को MRM PORTAL पर धारा 106(3) BNSS के तहत दिनांक 22.10.2026 को आवेदक उपरोक्त के बैंक खाते में वापस कराया गया है। अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक/ पीड़ित उपरोक्त द्वारा बलिया पुलिस एवं थाना- सहतवार पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सराहना की गई।

03. थाना चितबड़गांव जनपद बलिया पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी बलिया द्वारा जारी NBW से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 श्री ओमनारायण पाठक मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी बलिया द्वारा निर्गत एन0बी0डब्लू0 के मु0नं0 – 822/17 धारा 323,504,506 आईपीसी थाना चितबड़ागांव बलिया से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी गरजन यादव पुत्र हरेराम यादव निवासी पलिगरा कला थाना चितबड़ागाँव जनपद बलिया उम्र करीब 45 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर दबिश दिया गया। अभियुक्त/वारण्टी घर के पास मौजूद मिले, जिसको मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश वारण्ट से अवगत कराते हुये उसके घर से समय 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता

1. गरजन यादव पुत्र हरेराम यादव निवासी पलिगरा कला थाना चितबड़ागाँव जनपद बलिया उम्र लगभग 45 वर्ष
संबंधित मु0नं0 – 822/17 धारा 323,504,506 आईपीसी थाना चितबड़ागांव बलिया